गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम–महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

कैम्प ऑफिस :
होटल विजन महल, खसरा नं. 114/2, 107
आखिरी हिस्सा, तिलहरी, मंडला रोड
जबलपुर (म.प्र.) – 482021

Camp Office :-
Hotel Vijan Mahal
Khasra No. 114/2, 107
and parts, Tilhari Mandla Road
Jabalpur (M.P.) - 482021

क्रमांक 03 दिनांक 17/09/2025

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला सिवनी (म.प्र.)

विषयः– पेट्रोलियम और पाइप लाईन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 10(4) के अंतर्गत ली गई भूमि का क्षेत्रफल भूमिस्वामी के खसरा के खाना 12 में प्रविष्टि दर्ज करने बाबत्।

संदर्भः– न्यायालय सक्षम प्राधिकारी गेल (इंडिया) लिमिटेड जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रामवार प्रकरण दर्ज कर भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन कर अवार्ड आदेश पारित किये गये है।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत आदेश के तारतम्य में लेख है कि महाप्रबंधक (निर्माण) गेल (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)के प्रस्ताव अनुसार नागपुर–जबलपुर भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाने के कारण जिला सिवनी में भूमि में हित रखने वाले भूमि स्वामियो की प्रभावित भूमि का मुआवजा विधि अनुसार अवार्ड पारित किया जाकर हित रखने वाले भूमिस्वामी को अवार्ड में संलग्न प्रपत्र 11 के अनुसार भुगतान किया जा चुका है। जमा किये गये प्रकरणो की जानकारी न्यायालयवार निम्नानुसार है:–

क्रमांक	न्यायालय का नाम	तहसील	जिला	प्रकरण संलग्न ग्रामवार	जमा करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	न्यायालय नायब तहसीलदार बंडोल	सिवनी	सिवनी	14	18.02.2025
2	न्यायालय तहसीलदार छपारा	छपारा	सिवनी	10	21.02.2025
3	न्यायालय तहसीलदार लखनादौन	लखनादौन	सिवनी	14	03.03.2025
4	न्यायालय नायब तहसीलदार धूमा	लखनादौन	सिवनी	16	03.03.2025

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 9 की कंडिका (2) के अनुसार गैस पाईप लाईन की सुरक्षा हेतु प्रकरणो से संलग्न नक्शा एवं अवार्ड अनुसार पटवारी नक्शा में गैस पाईप लाईन सीमा को चिन्हांकित कर खसरा खाना 12 में अवार्ड अनुसार भूमि उपयोग हेतु रकबा दर्ज किया जाना है, जिसमे गैस पाईप लाईन सीमा के अंतर्गत कोई भी उत्खनन एवं अन्य निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।

माननीय महोदय से अनुरोध है कि उक्त परियोजना का कार्य समय सीमा में पूर्ण करना है जो भारत सरकार का उपक्रम है। गैस पाइप लाईन की सुरक्षा की दृष्टि से खसरा खाना 12 में प्रविष्टि करना अनिवार्य है, जिसे पूर्ण कराने की कृपा करें।

SDM - सिवनी / लखनादौन
प्रमुख 3458 में
पालन प्रतिवेदन पेश करें

(हस्ताक्षर)
हुसैन अली
मुख्य प्रबंधक (निर्माण)
गेल (इंडिया) लिमिटेड

पृ.क्र./ /भू-अर्जन/2025 सिवनी दिनांक /09/2025

प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिवनी, लखनादौन की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार महाप्रबंधक गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा उक्त तालिका के कॉलम 5 में वर्णित ग्रामो की खसरावार सूची आपको प्रदान की जा चुकी है, सूची में वर्णित खसरो के कॉलम 12 में गेल इंडिया का भूमि उपयोग हेतु रकबा प्रविष्ट किया जाकर खसरे दिनांक 18/9/2025 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा
जिला सिवनी